(vii) NEED FOR LEGISLATION TO PROVIDE REMUNERATIVE PRICE FOR SUGARCANE TO FARMERS AND SUPPLY OF SUGAR TO THEM AT REASONABLE RATES.

श्री राम लाल राही (मिसरिम) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत का किसान जो देश की रीढ़ कहा जाता है, निरन्तर शोषण, अन्याय व अत्याचारों का शिकार रहा है। 34 वर्षों की आजादी के बाद आज भी उसके उत्पादन का न्यायोचित मूल्य दिलवाने में सरकार असमर्थ रही है। यही नहीं, उसके द्वारा उत्पादित कच्चा माल जब उद्योगों द्वारा पक्का होता है अथवा उसका उत्पादित माल जब उद्योगपतियों और सरकार के गोदामों में पहुंच जाता है, तो अपनी जरूरत पर किसान अथवा उपभोक्ता को उसकी जरूरत पूरी करने के लिये आश्चर्यजनक महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। अभाव की स्थिति भी उत्पन्न की जाती है, जिसके कारण आम जनता को चोरबाजारी का शिकार होना पड़ता है।

देश के विभिन्न अंचलों में इस समय फ़सल पर गन्ना और आलू मिट्टी से भी सस्ता बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय गन्ना किसान को मजबूर हो कर सल्फर, खांडसारी एवं गुड़ यूनिटों को पांच रुपये से दस रुपये क्विंटल तक गन्ना बेचना पड़ रहा है। उसकी लागत मसक्कत तो दूर रही, बीज का दाम भी वापस नहीं मिल रहा है। किसानों की इस बेबसी पर सरकार को दया नहीं और वह न्याय देने से कतरा रही है। दूसरी तरफ़ चीनी व्यवसाय में लगे मालिकानों को किसानों की लूट के लिए सरकार पूरी छूट दिये है। अधिकारी किसान को उचित मूल्य दिलाने में इसलिए विवश हैं क्योंकि सरकार द्वारा अभी तक ऐसा समर्थ कानून और व्यवस्था ही नहीं बनाई गई।

एक तरफ़ तो गन्ना मिट्टी मोल बिक रहा है, दूसरी तरफ़ गन्ना किसान के घर जब कोई खुशी के दिन आते हैं, मेहमानों को एक गिलास शर्बत या चाय के लिये चीनी बिना दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। अपने बाल-बच्चों की शादी ब्याह के अवसर पर अतिथियों का मुंह मीठा कराने को भी तरस जाते हैं। किलो-किलो शक्कर के लिए लाल फीताशाही के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वह किसानों को उसके उत्पादन के लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिये प्रभावी कानून बनावे जिससे किसान उबर सके। जो गन्ना किसान, चीनी मिलों, सल्फर या खांडसारी यूनिटों को चीनी बनाने के लिए गन्ना सप्लाई करते हैं उन किसानों को प्रति क्विंटल गन्ना पर कम से कम एक किलो चीनी, सल्फर या खांडसारी उनके पारिवारिक उपयोग के लिए, गन्ना की खरीद मूल्य के आधार पर लागत दर लगा कर उपलब्ध कराई जावे। यह सरकार का गन्ना किसानों के लिए एक कल्याणकारी एवं सार्थक कदम होगा। इस से दाने-दाने चीनी के लिए किसानों को दर-दर की ठोकरें खाने से मुक्ति मिलेगी।

13.54 hrs.

RESOLUTION RE: FOURTH REPORT OF THE RAILWAY CONVENTION COMMITTEE, DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1982-83 AND SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1981-82—*Contd.*

MR. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants in respect of the Budget (Railways) for 1982-83 and also Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (Railways) for 1981-82. Shri R. L. P. Verma has already taken ten minutes. He may conclude in another one or two minutes.